

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

444

जयपुर परिसर में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों के सुचारु संचालन तथा परिसर में शैक्षणिक गुणवत्ता, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन एवं प्रत्यायन संबंधी कार्यों के प्रभावी समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु पूर्व में कार्यालय आदेश दिनांक 16.07.2025 के माध्यम से गठित आंतरिक गुणवत्ता एवं प्रत्यायन परिषद् (Internal Quality Assurance Cell – IQAC) समिति का पुनर्गठन किया जाता है। IQAC से संबंधित कार्यों के नियमित एवं प्रभावी संचालन हेतु प्रो. शीश राम, आचार्य के स्थान पर प्रो. सुज्ञान कुमार माहान्ति, आचार्य को IQAC समिति का समन्वयक (Coordinator) नामित किया जाता है।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जयपुर परिसर स्तर पर IQAC समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है, जो इस आदेश के जारी होने की तिथि से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	दायित्व
1.	प्रो. सुज्ञान कुमार माहान्ति, आचार्य	समन्वयक (Coordinator)
2.	डॉ. ओमप्रकाश, सहायक आचार्य	सदस्य
3.	डॉ. इन्द्र कुमार मीना, सहायक आचार्य	सदस्य
4.	डॉ. महीपाल सिंह, सहायक आचार्य	सदस्य
5.	डॉ. रानी दाधीच, सहायक आचार्य	सदस्य
6.	डॉ. नमिता मित्तल, अतिथि प्राध्यापक	सदस्य
7.	डॉ. विनोद कुमार शर्मा, अतिथि प्राध्यापक	सदस्य
8.	डॉ. रामेश्वर दयाल शर्मा, अतिथि प्राध्यापक	सदस्य
9.	डॉ. अंकित दाधीच, सहायक आचार्य (संविदा)	सदस्य
10.	डॉ. अभय कुमार, सहायक आचार्य (संविदा)	सदस्य
11.	डॉ. चेतन कुमार, अतिथि प्राध्यापक	सदस्य
12.	श्री साँवर मल यादव, तकनीकी सहायक	सदस्य

समिति के दायित्व:

समिति द्वारा परिसर स्तर पर IQAC से संबंधित कार्यों का समन्वय एवं अनुश्रवण किया जाएगा तथा परिसर की शैक्षणिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। समिति विशेष रूप से निम्न कार्यों का संपादन/समन्वय करेगी:-

1. परिसर में शैक्षणिक गुणवत्ता से संबंधित गतिविधियों एवं गुणवत्ता मानकों के अनुपालन का आवश्यकतानुसार अनुश्रवण करना।
2. IQAC से संबंधित आवश्यक अभिलेखों, रिपोर्टों एवं दस्तावेजों का सुव्यवस्थित संधारण एवं अद्यतन सुनिश्चित करना।
3. विभिन्न विभागों/शैक्षणिक इकाइयों एवं प्रशासनिक अनुभागों से IQAC से संबंधित आवश्यक सूचनाओं का संकलन एवं समन्वय करना।
4. विश्वविद्यालय मुख्यालय से प्राप्त IQAC संबंधी निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
5. परिसर की गुणवत्ता संबंधी गतिविधियों, उपलब्धियों एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्यों से संबंधित अभिलेख/रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग एवं समन्वय करना।
6. IQAC से संबंधित बैठकों का आवश्यकतानुसार आयोजन करते हुए बैठक की कार्यवाही एवं संबंधित अभिलेखों का संधारण करना।
7. गुणवत्ता संवर्धन हेतु आवश्यकतानुसार विभागाध्यक्षों, समन्वयकों, शिक्षकों, प्रशासनिक अनुभाग एवं अन्य संबंधित कार्मिकों के साथ समन्वय स्थापित करना।
8. IQAC से संबंधित अन्य कार्य, जो समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी/मुख्यालय द्वारा सौंपे जाएँ, उनका नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करना।

समन्वयक, IQAC समिति की बैठकों एवं संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक समन्वय करेगा तथा समिति के कार्यों की प्रगति से समय-समय पर निदेशक, जयपुर परिसर को अवगत कराएँगे।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।


(प्रो. लोक मान्य मिश्र)

(Prof. Lok Many Mishra)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु/Copy for informaton and necessary action:

1. संबंधित समिति सदस्य।
2. सह-निदेशक (प्रशा. & शै.), जयपुर परिसर।
3. सभी विभागाध्यक्ष एवं समन्वयक, जयपुर परिसर।
4. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी., जयपुर परिसर।
5. प्रशासन विभाग।
6. संबंधित संचिका।


निदेशक/Director